सत्यमेव जयते

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–76 (लो0सू0अ0) / 2022–23

श्री रंजीत कुमार, केयर ऑफ–श्री जगदेव प्रसाद, ग्राम–जगदीशपुर (अबगिला मस्जिद के पास), पोस्ट–बुनियादगंज, थाना–मोफसील, जिला–गया, मानपुर–823003

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.12.2022	श्री रंजीत कुमार, केयर ऑफ–श्री जगदेव प्रसाद, ग्राम–जगदीशपुर (अबगिला मस्जिद के पास), पोस्ट–बुनियादगंज, थाना–मोफसील, जिला–गया, मानपुर–823003 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–19.12.2022 इस कार्यालय में दिनांक–26.12.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 984675 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री रंजीत कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–01.11.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना नही दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–01.11.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–01.11.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–06.01.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 27/12/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या--76 / 2022--23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.01.2023	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी ने अपने पत्रांक--आर॰टी॰आई॰ / वी॰के॰एस॰यू॰--88 / 2022--236 / रा॰स॰ (i) दिनांक--08.11.2022 के माध्यम से अपीलार्थी श्री रंजीत कुमार, केयर ऑफ--श्री जगदेव प्रसाद, ग्राम--जगदीशपुर (अबगिला मस्जिद के पास), पोस्ट--बुनियादगंज, थाना--मोफसील, जिला--गया, मानपुर--823003 को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक--01.11.2022 के आलोक में सूचना / निर्णय प्रेषित किया गया है। विदित हो कि अपीलकर्त्ता श्री रंजीत कुमार ने लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपील दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जब लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' दिनांक--01.11.2022 के आलोक में सूचना / निर्णय का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 6/1/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी --सह-- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	